

मांग संख्या 06
मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 1

संचालनालय संस्थागत वित्त अंतर्गत श्रम सम्मान निधि का भुगतान हेतु राशि ₹ 0.56 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 56,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद् की स्थापना हेतु राशि ₹ 25.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

संचालनालय वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली के लिये 02 नग फोटोकॉपियर मशीन क्रय किये जाने हेतु राशि ₹ 6.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि ₹ 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

संचालनालय वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ के लिए 05 नग कम्प्यूटर एवं 02 नग प्रिंटर क्रय किये जाने हेतु राशि ₹ 8.90 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

IFMIS Next Gen हेतु राशि ₹ 1000.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2054

मद क्रमांक 6

1. छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना अंतर्गत Middleware server एवं NAS storage device क्रय किये जाने संभावित व्यय ₹ 6.79 लाख हेतु राशि ₹ 100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

2. 16 नग Operating system licence क्रय किये जाने संभावित व्यय ₹ 1.85 लाख हेतु राशि ₹ 100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः उक्त प्रयोजनों के लिए आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

3. छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना अंतर्गत ई-कोष के डाटा का क्लाउड में माईग्रेशन किये जाने हेतु राशि ₹ 950.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इन प्रयोजनों हेतु कुल राशि ₹ 9,50,00,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

जिला कोषालयों के BSNL leaseline connection हेतु राशि ₹ 113.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 1,13,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

जिला कोषालयों/संभागीय कार्यालयों तथा संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन में 175 नग कम्प्यूटर क्रय किये जाने हेतु अतिरिक्त राशि ₹ 34.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 34,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना अंतर्गत सलाहकारों के सेवा शुल्क भुगतान हेतु राशि ₹ 66.58116 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 66,58,116 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2075

मद क्रमांक 10

छत्तीसगढ़ राज्य प्रत्याभूति मोचन निधि में अंतरण हेतु राशि ₹ 43500.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 4,35,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4070

मद क्रमांक 11 से 12

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के लिए वाहन क्रय हेतु राशि ₹ 8.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 8,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

संचालनालय पेशन एवं भविष्य निधि के लिए वाहन क्रय हेतु राशि ₹ 4.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 4,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।